

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डांक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38. सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी.ओ./रायपुर/17/2002."

Pt. Sundarlal Sharma

Act. 2005

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005—माघ 4, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 640/21-अ/प्रारूपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-01-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26, सन् 2004)

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004

विषय सूची

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. विश्वविद्यालय का गठन एवं निगमन
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
6. विश्वविद्यालय का सभी जाति, पंथ वर्ग के लिए खुला होना
7. विश्वविद्यालय के अधिकारी
8. कुलाधिपति
9. कुलपति
10. कुलसचिव
11. वित्त अधिकारी
12. क्षेत्रीय निर्देशक
13. अन्य अधिकारी
14. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
15. कार्यपरिषद्
16. विद्यापरिषद्
17. योजना मण्डल
18. विभाग

19. अध्ययन मण्डल
20. वित्त समिति
21. अन्य प्राधिकारी
22. विश्वविद्यालय निधि
23. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन हो सकेगा
24. समन्वय समिति
25. परिनियम
26. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे
27. अध्यादेश
28. विनियम
29. वार्षिक प्रतिवेदन
30. वार्षिक लेखा
31. कर्मचारियों की सेवा शर्तें
32. विवादों का निर्णय
33. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद
34. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना
35. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण
अविधिमान्य नहीं होगी
36. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
37. कठिनाइयों का निराकरण
38. संक्रमणीय उपबंध
39. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी
40. कतिपय 'परिस्थितियों' में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के
लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरिक रूप
में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति
41. परिणाम जो धारा 40 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की
कालावधि का अवसान होने पर होगा

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2004)

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004

खुले विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के उन्नयन एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तथा उससे संबंधित अनुषांगिक विषय पर राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना एवं गठन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पंचपनवें वर्ष के छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 होगा । संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम तथा परिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

परिभाषाएं

- (क) “विद्या परिषद्” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
- (ख) “समन्वय समिति” से अभिप्रेत है; छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 34 के अंतर्गत गठित समिति;
- (ग) “विभाग” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का विषय से संबंधित विभाग;
- (घ) “दूरस्थ शिक्षा पद्धति” से अभिप्रेत है; शिक्षा प्रदान करने की वह पद्धति जो संचार की किसी प्रणाली यथा प्रसारण, दूरदर्शन से प्रसारण, दृष्ट्य श्राव्य, श्राव्य प्रणाली, पत्राचार पाठ्यक्रम, संगोष्ठी, संपर्क कार्यक्रम, या किन्हीं दो या दो से अधिक पद्धतियों के योग से दी जावे;
- (ङ) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है; ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त हो तथा इसमें शिक्षक तथा अन्य शैक्षणिक व्यक्ति भी शामिल है;
- (च) “वित्त समिति” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (छ) “इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय” से तात्पर्य है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का क्रमांक 50) की धारा 3 के अंतर्गत निर्मित विश्वविद्यालय;
- (ज) “कुलपति” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (झ) “अध्यादेश” से अभिप्रेत जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित अध्यादेश;
- (ञ) “योजना मण्डल” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का योजना मण्डल;
- (ट) “क्षेत्रीय केन्द्र” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या निर्मित केन्द्र जो उन केन्द्रों के अध्ययन में समन्वय तथा निरीक्षण कर सके जो किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया गया है जैसा कि कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किया गया हो;
- (ठ) “विनियम” से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियम;
- (ड) “परिनियम” से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियम;
- (ढ) “छात्र” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय का छात्र जिसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

जिसने विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया हो;

(ण) “अध्ययन केंद्र” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय द्वारा गठित, पोषित, मान्य वे केन्द्र जो विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार परामर्श, सलाह या अन्य कोई सहायता देने हेतु बनाया गया हो;

(त) “शिक्षक” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय में अध्यापन तथा छात्रों जो किसी भी पाठ्यक्रम के हों को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य तथा अन्य ऐसे व्यक्तिज्ञों अध्यादेश द्वारा अधिकृत हो तथा इसमें क्षेत्रीय केंद्र व शिक्षण केंद्र के पूर्ण कालिक व अंश कालिक शिक्षक भी आते हैं;

(थ) इस अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र.22 सन् 1973) की धारा 4 में विद्यमान है।

(द) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अंतर्गत गठित पण्डित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय;

(घ) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” से अभिप्रेत है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्र. 3 सन् 1956) के अंतर्गत गठित आयोग;

3. विश्वविद्यालय का गठन तथा निगमन

(1) विश्वविद्यालय का गठन किया जावेगा जिसका नाम “पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ” होगा।

(2) इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर में होगा तथा इसके क्षेत्रीय केंद्र व अध्ययन केंद्र ऐसे स्थानों में होंगे जैसा कि उपयुक्त हो।

(3) प्रथम कुलपति और प्रथम कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद्, व योजना मण्डल तथा इसके पश्चात् वे समस्त व्यक्ति जो ऐसा अधिकारी या सदरस्य जब तक ऐसा अधिकारी या सदरस्य रहे एक नियमित निकाय पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के नाम से गठन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी, वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जावेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे -

(एक) विभिन्न माध्यमों के द्वारा जिसमें प्रसारण तकनीक भी सम्मिलित है, शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन एवं प्रसारण करना।

(दो) समाज के व्यापक वर्ग को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर तथा समाज के शैक्षणिक कल्याण को प्रोत्साहित करना।

(तीन) राज्य के शिक्षा पद्धति में खुला शिक्षा विश्वविद्यालय पद्धति तथा दूरवर्ती शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना।

5. (1) विश्वविद्यालय को निम्न शक्तियाँ होंगी अर्थात्-

(एक) ज्ञान की ऐसी शाखाएं, तकनीक, व्यापार, व्यवसाय जैसा कि समय-समय पर

विश्वविद्यालय निर्धारित करे शिक्षण देना तथा प्रायोजित शोध कार्य के लिए उपबंध बनाना;

(दो) किसी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य प्रयोजन के लिए पाठ्यक्रम व योजना बनाना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना तथा उन्हें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता देना;

(चार) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रमों से संबंधित दूरस्थ शिक्षा हेतु पद्धति निर्धारित करना;

(पांच) विद्या संबंधी सामग्री तैयार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए या अन्य विद्वता कार्य करने के लिए जिसमें मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम सामग्री का परिदाय तथा छात्रों द्वारा किये कार्य का मूल्यांकन करने हेतु आचार्य, प्रवाचक, सहायक आचार्य व अन्य विद्वता पद का निर्माण करना व उस पर नियुक्ति करना;

(छ:) अन्य विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा के संस्थानों, व्यवसायिक निकायों संगठनों को सहयोग करना व सहयोग प्राप्त करना, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे;

(सात) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार व ऐसे पारितोषिक किसी योग्यता के लिए संस्थित करना जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे;

(आठ) ऐसे क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करना व पोषण करना जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(नौ) ऐसे तरीकों से अध्ययन केंद्र की स्थापना करना, पोषण करना व मान्यता देना जैसा कि परिनियमों में उल्लेख हो;

(दस) ऐसी शैक्षणिक सामग्री जिसमें फिल्म, केसेट्स, टेप्स, वीडियो केसेट्स व अन्य साफ्टवेयर को उपलब्ध करवाना;

(ग्यारह) शिक्षकों, पाठ लेखकों, मूल्यांककों व अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के लिए पुनःशर्यरी पाठ्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना;

(बारह) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्च शिक्षा के संस्थाओं की परीक्षाओं, अध्ययन काल (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं या अध्ययन काल के समरूप मान्यता देना या किसी समय मान्यता निरस्त करना;

(तेरह) प्रायोजित शोध या शिक्षा तकनीक में विकास व अन्य संबंधित विषय हेतु प्रावधान करना;

(चौदह) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय व अन्य पदों का सृजन करना व उनमें नियुक्ति करना;

(पंद्रह) धर्मदान, दान, उपहार प्राप्त करना, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति जिसमें न्यास व न्यास संपत्ति शामिल है विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए प्राप्त करना, रखना, धारण करना, देना तथा पोषण करना, बेचना;

विश्वविद्यालय
की शक्तियाँ

(सोलह) राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रतिभूति या अन्यथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए धन उधार लेना;

(सत्रह) किसी संविदा को निरस्त करना, परिवर्तित करना, संपादन करना, प्रविष्ट करना,

(अठारह) अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य प्रभार मांग करना व प्राप्त करना;

(उन्नीस) छात्रों व अन्य कर्मचारियों में अनुशासन का नियंत्रण करना, निर्धारण करना तथा ऐसे कर्मचारियों की आचरण संहिता बनाना तथा सेवा शर्तें निर्धारित करना;

(बीस) विजिटिंग प्रोफेसर, विद्वान् प्रोफेसर, सलाहकार, फेलोज, शोधार्थी, कलाकार, पाठ्यक्रम लेखक व अन्य ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति संविदा में या अन्यथा करना जो विश्वविद्यालय के विषयों की उच्चति में योगदान दे सकें;

(इक्कीस) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को जिन्हें शिक्षक के रूप में मान्य किया गया हो ऐसी शर्तों के अधीन जो अध्यादेशों द्वारा निर्धारित हो मान्यता देना;

(बाइस) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश हेतु मानक निर्धारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन व परीक्षण की अन्य विधियां आती हों;

(तेइस) कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य तथा कल्याण में अभिवृद्धि की व्यवस्था करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के समरत या किन्हीं शक्तियों जो विश्वविद्यालय के समरत या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अनिवार्य व नैमित्तिक समर्त कार्य करना।

(2) तत्समय किसी अन्य विधि के होते हुए किन्तु उपखण्ड (1) के प्रावधानों में हानि किए बिना विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समरत उपाय जो वह उचित समझे करे जिसमें विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति और उस पद्धति में अध्यापन के रूपर, मूल्यांकन व शोध में उच्चति हो। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय” से सहयोग प्राप्त करेगा तथा देखेगा कि संभवतया खुले अध्यापन पद्धति में उनके शैक्षणिक मानदण्डों के बराबर हो।

6. विश्वविद्यालय का सभी जाति, पंथ, वर्ण के लिए खुला होना विश्वविद्यालय धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा।

7. विश्वविद्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे –

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलसचिव;

(चार) क्षेत्रीय निर्देशक ;

(पांच) वित्ताधिकारी;

(छः) विश्वविद्यालय की सेवा में अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

8. (1) छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

कुलाधिपति

(2) उपखण्ड (3) व (4) के अधीन कुलाधिपति विश्वविद्यालय को आदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा भवन, प्रयोगशाला व उपकरण, किसी क्षेत्रीय केंद्र, अध्ययन केंद्र में होने वाले अध्यापन, परीक्षा व अन्य कार्य का तथा विश्वविद्यालय के प्रशासकीय, वित्तीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण करे।

(3) जहां कुलाधिपति द्वारा जांच या निरीक्षण आदेशित हो, विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त का सकेगा और वह उस जांच या निरीक्षण में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा।

(4) ऐसी जांच या निरीक्षण पर कुलाधिपति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित अपने विचार एवं परामर्श से कुलपति को अवगत कराएगा, ऐसा संबोधन प्राप्त करने पर कुलपति ऐसी जांच या निरीक्षण पर कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही से संबंधित विचार तथा परामर्श कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।

(5) युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाधिपति के संतोष के अनुसार कार्यपरिषद् कार्यवाही न करे तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार कर ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे, ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए कार्यपरिषद् बाध्य होगा।

(6) इस खण्ड के अन्य प्रावधानों पर बिना पक्षपात किए कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को जो इस अधिनियम, उसमें निहित परिनियम, अध्यादेश के अनुरूप न हो, बातिल कर सकेगा।

परंतु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह विश्वविद्यालय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जावे और यदि उसके द्वारा युक्तियुक्त समय के अंदर ऐसा कारण दर्शाया गया हो तो उस पर विचार करेगा।

(7) कुलाधिपति के पास ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो परिनियम द्वारा निर्धारित हों।

9. (1) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा अनुशंसित किए गए शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा राज्य शासन के परामर्श के पश्चात् की जावेगी। परन्तु यदि समिति द्वारा अनुमोदित किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हो तो कुलाधिपति ऐसी खोज समिति से नई अनुशंसा मंगा सकेगा;

कुलपति

परन्तु यह और भी कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति एक खोज समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्-

(एक) कार्यपरिषद् द्वारा अनुशासित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छः मास पूर्व कार्य परिषद् तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उसमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति यथास्थिति, पुनः किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा।

(4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशक्त है, उपधारा (2) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा।

(5) समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए गए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी।

(6) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उपधारा (2) द्वारा गठित की गई है, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने से असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन शिक्षाविद्, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशक्त नहीं हैं जिसमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा। इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, राज्य शासन के परामर्श पर कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(8) राज्य शासन एक शिक्षाविद् की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छः माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति,

कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या सभीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा वित्तीय विशेषज्ञ होगा, कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी।

(9) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियाँ एवं रोवा के अन्य निबंधन तथा शते परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी।

(10) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारणा करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छः भास से अधिक नहीं होगी।

(11) यदि किसी समय अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपाति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने:-

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(ख) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(ग) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, इस तथ्यके होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद त्याग दे।

(12) उपधारा (11) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा यदि उन आधारों की विशिष्टियाँ, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित नहीं कर दी गई है तथा उस प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

(13) उपधारा (11) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।

(14) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रुग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति

के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुनः ग्रहण न कर ले। परंतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छः माह से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रहेगा।

(15) कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा, वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष, तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समिति तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होंगा, वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें भत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो।

(16) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्पापूर्व अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिये समर्प्त आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(17) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, बैठक बुलाने की शक्ति होगी, वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(18) यदि कुलपति के राय में कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, यथाशीघ्र, अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता। परंतु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन माह से अधिक कालावधि के लिये किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा;

परंतु यह भी इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों, में संशोधन या नियुक्ति से संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा।

(19) उपधारा (18) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(20) उपधारा (18) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जायेगी जब तक की वह उपधारा (19) के अधीन दिये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है या उपधारा (18) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अपील किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है।

(21) यदि कुलपति के राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला कुलाधिपति को निर्देशित करेगा और तदनुसार उसकी इतिलास संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को भी देगा जो तब तक प्रभावशील नहीं किया जायेगा जब तक कि मामला कुलाधिपति द्वारा धारा 9 की उपधारा (18) के अधीन विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है।

(22) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकालार्पों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा।

(23) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाए।

10. (1) कुलसचिव ऐसे तरीके, परिलब्धियों व अन्य सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जावेगा जैसा कि परिनियम द्वारा नियत किया जाए।

कुलसचिव

(2) कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किये जाने पर कुलसचिव समझौतों और अन्य अभिलेखों पर विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षर कर सत्यापित करेगा।

(3) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जावें।

(4) प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर दो वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जावेगी।

11. (1) वित्त अधिकारी ऐसे तरीके से, परिलब्धियों व अन्य सेवा शर्तों के अंधीन नियुक्त होगा तथा ऐसी शक्तियों का उपयोग करेगा व ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जावें।

वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर की जावेगी।

12. प्रत्येक निर्देशक ऐसे तरीके, परिलब्धियों व अन्य सेवा शर्तों के अंधीन नियुक्त किए जाएंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा नियत किए जाएं।

क्षेत्रीय निर्देशक

13. अन्य अधिकारी

अन्य अधिकारियों के नियुक्ति का तरीका, परिलक्षियां एवं सेवा शर्तें तथा शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियम द्वारा नियत किए जायें।

14. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्न प्राधिकारी होंगे -

- (1) कार्य परिषद्
- (2) विद्या परिषद्
- (3) योजना मण्डल
- (4) विभाग
- (5) अध्ययन मण्डल
- (6) वित्त समिति एवं
- (7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिसे परिनियमों द्वारा प्राधिकारी घोषित किया जावे।

15. कार्यपरिषद्

- (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी जिसमें तेरह से अनधिक सदस्य होंगे उनमें सात से अनधिक शासकीय अधिकारी होंगे।
- (2) कार्यपरिषद् की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उनकी शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावे।

16. विद्या परिषद्

- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्वत् निकाय होगी जिसमें 15 से अनधिक सदस्य होंगे उनमें चार से अनधिक शासकीय अधिकारी होंगे और इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों के अधीन नियंत्रण व सामान्य विनियमन होगा। विश्वविद्यालय में शोध के स्तर की देखरेख, सीख, शिक्षा, निर्देशन, मूल्यांकन, एवं परीक्षा के संचालन हेतु जिम्मेवार होगी तथा ऐसी शक्तियों का उपयोग व कर्तव्यों का पालन करेगी जैसा कि परिनियम द्वारा निर्धारित हो।
- (2) विद्या परिषद् के गठन, उसके सदस्यों की पदावधि का निर्धारण परिनियम द्वारा होगा।

17. योजना मण्डल

- (1) विश्वविद्यालय का एक योजना मण्डल होगा जिसमें नौ से अनधिक सदस्य होंगे जिसमें से तीन से अनधिक शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे। यह विश्वविद्यालय की योजना हेतु प्रमुख मण्डल होगा तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप विश्वविद्यालय के विकास के निरीक्षण के लिए जिम्मेवार होगा।
- (2) योजना मण्डल का गठन उसके सदस्यों की पदावधि तथा शक्तियां व कर्तव्य परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।

18. (1) विश्वविद्यालय के ऐसे विभाग होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे।

विभाग

(2) विभाग की संरचना उनकी शक्तियां एवं कर्तव्य परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।

19. (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए अध्ययन मण्डल होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

अध्ययन मण्डल

(2) अध्ययन मण्डल की संरचना, उसके रादर्स्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे जो नियम द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।

20. (1) वित्त समिति की संरचना, शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियम द्वारा निर्धारित किये जावेंगे।

वित्त समिति

(2) ऐसा कोई भी निर्णय जो वित्तीय भार डालते हों विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा वित्त समिति के पूर्व समर्थन के बिना नहीं लिये जावेंगे।

21. परिनियम द्वारा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, उनकी शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे जो कि परिनियम द्वारा निर्धारित किए जावें।

अन्य प्राधिकारी

22. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी।

विश्वविद्यालय निधि

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे या उसमें संदर्भ किये जाएंगे -

(i) कोई ऋण, केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई

अभिदाय या अनुदान;

(ii) न्यास, वंसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेंट्स) तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो;

(iii) समर्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;

(iv) विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त की गई समर्त अन्य राशियां।

(3) विश्वविद्यालय निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी।

23. (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा -

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सके गा,

(i) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये विभागों, क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों, छोटावासों की संपत्ति के अनुरक्षण;

(iii) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय;

- (iv) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों में जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो व्ययों;
 - (v) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों और विश्वविद्यालय के विभागों के शिक्षकों व गैर शिक्षकों के बेतन भत्ते जो इस अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेशों की पूर्ति करते हों, का संदाय करना;
 - (vi) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के अंतर्गत निर्मित प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा व अन्य भत्तों का संदाय करना;
 - (vii) विद्यार्थियों को अधिछात्र वृत्तियों, छात्र वृत्तियों, तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय;
 - (viii) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपरांत किये गये किन्हीं भी व्ययों के संदाय;
 - (ix) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किया गया हो, का संदाय।
- (2) कार्य परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपरांत नहीं किया जावेगा।
- (3) उस व्यय से, जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया हो भी कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपरांत नहीं किया जावेगा।

24. समन्वय समिति

- (1) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) के अंतर्गत गठित समन्वय समिति उन शक्तियों का उपयोग करेगी व कर्तव्यों का पालन करेगी जो अधिनियम की धारा 34 में वर्णित है।
- (2) कुलपति समन्वय समिति के पदेन सदरस्य होंगे।

25. परिनियम

- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समरत विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे अर्थात्-
- (क) कुलसचिव, वित्त अधिकारी, क्षेत्रीय निर्देशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका नियुक्ति की शर्तें, उपलब्धियां, सेवा की शर्तें, शक्तियों व कर्तव्य जिनका वे उपयोग व पालन करेंगे।
 - (ख) कार्यपरिषद् व अन्य प्राधिकारियों की संरचना उनके सदस्यों की पदावधि एवं शक्तियों के उपयोग तथा कर्तव्यों के पालन जिनका वे उपयोग व पालन करेंगे।
 - (ग) परीक्षकों व अनुसमीक्षकों की नियुक्तियां।
 - (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलिधियां तथा सेवा शर्तें।

- (इ) विश्वविद्यालय के नियोजन में व्यक्तियों की ज्येष्ठता के संबंध में सिद्धांत।
- (च) किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जिसके अंतर्गत अपील या पुनरीक्षण की समयावधि भी आयेगी।
- (छ) विश्वविद्यालय के नियोजन में कोई व्यक्ति या छात्र तथा विश्वविद्यालय के बीच किसी वाद के निराकरण हेतु प्रक्रिया या मंच के संबंध में।
- (ज) विश्वविद्यालय में मानक निर्धारण एवं समन्वय के लिए।
- (झ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं।

26. (1) प्रथम परिनियम राज्य शासन द्वारा बनाया जावेगा तथा राज्य शासन प्रथम परिनियम में यथा आवश्यक संशोधन करेगा।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे

(2) प्राधिकारी इसके पश्चात् आने वाली रीति में किसी परिनियम को समय-समय पर बना सकेगी उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

(3) प्राधिकारी स्वप्रेरणा से यो अन्यथा परिनियम के प्रारूप पर विचार करेगी, परंतु यह खण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, य अन्य अधिकारियों की परिलिङ्घियों पर प्रभाव डालने वाले परिनियम पर लागू नहीं होगा।

(4) इस खण्ड के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप कार्य परिषद् को विचार हेतु भेजा जाएगा और कार्यपरिषद् द्वारा व्यक्त ऐसे विचार जो कि ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति तय करे व तीस दिन से कम न हो, कुलाधिपति प्रारूप को परिवर्तित या अपरिवर्तित स्वरूप में अनुमोदित कर सकेगा।

(5) जहाँ प्रारूप कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तावित किया गया हो वहाँ कुलाधिपति ऐसे प्रारूप को अनुमोदन कर परिनियम को पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर पूर्ण रूप से या अंशतः उसमें संशोधन के सुझाव सहित कार्य परिषद् को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगा।

(6) इसके पश्चात् कि उपखण्ड (5) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा कुलाधिपति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जा चुका हो, वह कार्यपरिषद् की तत्संबंधी प्रतिवेदन को कुलाधिपति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जावेगा और कुलाधिपति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा।

(7) कुलाधिपति किसी परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रस्तुति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्यपरिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(8) जहां कुलाधिपति परिनियमों को अनुमोदित कर दे, वहां वे उस तारीख से प्रभावी हो जावेंगे जिसे कि कुलाधिपति विनिर्दिष्ट करे।

27. अध्यादेश

(1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे अर्थात्-

(क) छात्रों का प्रवेश, कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं उसके शुल्क, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र व अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अहतारं, छात्रवृत्ति, पुरस्कार व अन्यों के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं के संचालन जिसमें परीक्षकों एवं अनुसन्धानकार्यकालीन विधि की नियुक्ति की शर्तें सम्मिलित हैं;

(ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जा सकें।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा बनाया जावेगा और ऐसा अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा किसी समय जैसा कि परिनियमों में निहित कियां जावे संशोधित, निरसित, या बदला जा सकेगा।

28. विनियम

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने स्वयं के या कोई समिति जिसका उसने गठन किया है और जिसके कामकाज हेतु अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश में प्रावधान न हो परिनियम के अनुसार अपने कामकाज हेतु विनियम बना सकेगा जो कि अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश से संगत हों।

(2) ऐसा बनाया गया विनियम कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जावेगा व अनुमोदन की तिथि से प्रभावशील होगा।

29. वार्षिक प्रतिवेदन

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशन में तैयार किया जावेगा जिसमें अन्य मामलों के अतिरिक्त उन कदमों का उल्लेख होगा जो विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाया है।

(2) ऐसा तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति और राज्य शासन को ऐसी तिथि को प्रस्तुत किया जावेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य शासन विधान सभा के पटल पर रखवायेगा।

30. वार्षिक लेखा

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा कार्यपरिषद् के निर्देशन पर तैयार किया जावेगा तथा उसका अंकेक्षण स्थानीय लेखा संपरीक्षक द्वारा किया जावेगा।

(2) लेखे की एक प्रति जिसमें कार्यपरिषद् की यदि कोई टिप्पणी हो अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित कुलाधिपति को भेजी जावेगी।

- (3) वार्षिक लेखे पर कुलाधिपति द्वारा की गई टिप्पणी कार्य परिषद् की सूचना में लाई जावेगी और उस टिप्पणी पर कार्यपरिषद् के विचार यदि कोई हो कुलाधिपति को भेजा जावेगा।
- (4) कुलाधिपति के समक्ष लाये गये लेखे की प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित राज्य शासन को भी भेजा जावेगा।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित लेखे की प्रति जो राज्य शासन की भेजी गयी है प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य शासन विधान सभा के पटल पर रखवायेगा।

31. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त होगा और ऐसी संविदा अधिनियम, परिनियम व अध्यादेशों के प्रावधानों के असंगत नहीं होगा।

कर्मचारियों की सेवा
शर्तें

(2) उपर्युक्त (1) के अधीन संविदा विश्वविद्यालय में रखी जावेगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जावेगी।

32. संविदा से उत्पन्न यदि कोई विवाद विश्वविद्यालय एवं उसके किसी अधिकारी या शिक्षक के मध्य उत्पन्न हो तो उसका निराकरण कुलपति द्वारा किया जावेगा और कुलपति के निर्णय के विरुद्ध अपील कुलाधिपति के समक्ष या ऐसे निकाय को की जावेगी जिसका गठन दे करे।

विवादों का निर्णय

33. यदि ऐसा प्रश्न उठ जावे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिनका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के
प्राधिकारियों तथा
निकायों के गठन
संबंधी विवाद

34. इस अधिनियम में प्रदत्त अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों पदेन सदस्यों, के अतिरिक्त की समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ यथाशक्य शीघ्रता से शेष अवधि के लिये प्रक्रिया के अनुरूप की जावेगी।

आकस्मिक रिक्तियों
का भरा जाना

35. किसी भी प्राधिकारी या निकाय के कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में रिक्त या रिक्तियाँ रह गई हैं।

विश्वविद्यालय के
प्राधिकारियों या निकायों
की कार्यवाही रिक्तियों के
कारण अविधिमान्य नहीं
होगी

36. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसे बात के लिए जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेश या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशायित रहा हो कोई बाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावना पूर्वक की
गई कार्यवाही का संरक्षण

37. कठिनाइयों का निराकरण (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य शासन उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे जरुरी व्यवहारिक आदेश जारी कर सकेगा जिसके उपबंध अधिनियम के असंगत न हों,

38. संक्रमणीय उपबंध
- इस अधिनियम व परिनियमों के होने पर भी –
- (i) विश्वविद्यालय खुलने के पहले राज्य शासन एक विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी की नियुक्ति दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए करेगा। विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी की सेवा शर्तों का उल्लेख उसकी नियुक्ति पत्र में होगा;
 - (ii) विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी को कुलपति की शक्तियाँ प्राप्त होंगी;
 - (iii) प्रथम कार्य परिषद् का गठन राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपति मनोनीत करेगा जिसमें पंद्रह से अनधिक सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा; तथा
 - (iv) (क) प्रथम योजना मण्डल का गठन राज्य शासन के परामर्श पर कुलाधिपति मनोनीत करेगा जिसमें यारह से अनधिक सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा;
 - (ख) इस अधिनियम द्वारा योजना मण्डल को दी गई शक्तियों व कर्तव्यों के अतिरिक्त जब तक विद्या परिषद् व अध्ययन मण्डल का गठन इस अधिनियम व परिनियम के अनुसार नहीं हो जाता इनके शक्तियों व कर्तव्यों का उपयोग व पालन करेगा, और इन शक्तियों का उपयोग करते हुए योजना मण्डल ऐसे सदस्यों का सहयोजन कर सकेगा जैसा वह निर्धारित करे।

39. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी
- (1) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कतिपय कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी, कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परंतु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं रहेगी।
 - (3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिका प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट हैं, अनुपालन करे, और अन्य निर्देश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा : -

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय अन्तर्वलित है, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, शिक्षक व अन्य समर्त व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए समर्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के पदों की संख्या में कमी की जाए;

(छः) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाए; और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाय;

परंतु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त दिए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन किए गए निर्देशों को कार्यान्वित करे।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निर्देश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुप्रयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, संघिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

40. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरिक रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति

- (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हितों में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) घोषित किए जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 9, 15, 16-20, 28, 29, 30 तथा 37 के उपबंध करने की राज्य अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को, लागू होगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसा वह उचित समझे इस प्रकार कर सकेगी कि जिसमें अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (3) कुलाधिपति, अधिसूचना जारी करने के साथ ही, धारा 9 के अधीन कुलपति की नियुक्ति करेगा तथा इस प्रकार नियुक्त कुलपति, अधिसूचना प्रवर्तन काल में पद धारण करेगा। परंतु यह कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले, किंतु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-
 - (एक) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किए हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा;
 - (दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।
 - (तीन) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथा उपांतरिक उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाये तब तक कुलपति, जो यथा उपांतरित, धारा 9 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों।

परंतु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद् एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।
- (5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपांतरित उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना

प्रारंभ कर देगी।

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन के कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक की यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय।

41. धारा 40 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय लागू होने के संबंध में का अवसान होने पर उपांतरित किए गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा उसको लागू रहेंगे।

परंतु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का-

- (क) उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ख) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपांतरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

परिणाम जो धारा 40 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 640/21-अ/प्रारूपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नामे भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2011।"



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुग्ध/
तक. 114-009/2003/20-01-03।"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 219]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006—भाद्र 9, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11176/289/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-8-2006 को राज्यपाल को अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदरशानसार
विमला सिंह कपूर, उष-सचिव,

- ७५ -

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2006)

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन)
अधिनियम, 2006

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) में
संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रांगण्म्.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) “मूल अधिनियम” से अभिप्रेत है, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004),

धारा-9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (8) में शब्द “दो” के स्थान पर शब्द “पांच” प्रतिस्थापित किया जाय।

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11176/289/21-भ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 23. सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आनंदशान्मुख,
बिमला सिंह कपूर, उप-सचिव,